

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद  
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)  
बिहार, पटना

पटना, दिनांक मार्च, 2017

विषय :- पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2014-15 के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिये स्वीकृत 2 अदद H.P.L.C. के क्रय हेतु पूर्व स्वीकृत राशि ₹ 30.00 लाख (तीस लाख रू0) मात्र के अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 74.00 लाख (चौहत्तर लाख रू0) मात्र अर्थात् पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल ₹ 104.00 लाख (एक करोड़ चार लाख रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 74.00 लाख (चौहत्तर लाख रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-6271, दिनांक 01.09.2015 द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15 के लिये गैर योजना मद में ₹ 4780.23 करोड़ (सैतालीस करोड़ अस्सी लाख तेइस हजार रू0) मात्र के लागत की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश ₹ 3.7770 करोड़ (तीन करोड़ सतहतर लाख सत्तर हजार रू0) मात्र तथा समानुपाती राज्यांश ₹ 2.5220 करोड़ (दो करोड़ बावन लाख बीस हजार रू0) मात्र यानि कुल ₹ 6.2990 करोड़ (छः करोड़ उनतीस लाख नब्बे हजार रू0) की राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त स्वीकृत्यादेश के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिये 2 अदद H.P.L.C. के क्रय हेतु ₹ 30.00 लाख (तीस लाख रू0) मात्र स्वीकृत है।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक 1344/आपूर्ति, दिनांक 02.02.2017 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-6271, दिनांक 01.09.2016 में सन्निहित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिये 2 अदद H.P.L.C. का क्रय करने हेतु पूर्व स्वीकृत राशि ₹ 30.00 लाख (तीस लाख रू0) मात्र के अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 74.00 लाख (चौहत्तर लाख रू0) मात्र अर्थात् पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल ₹ 104.00 लाख (एक करोड़ चार लाख रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 74.00 लाख (चौहत्तर लाख रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त राशि का व्यय गैर योजना की मांग सं0-22, बजट शीर्ष-2055-पुलिस, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण उपशीर्ष-0001-पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि, विषय शीर्ष- 52 01-मशीनें एवं उपस्कर तथा विपत्र कोड N2055001150001 में केन्द्रांश/राज्यांश के अंतर्गत उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

राधा नन्दन प्रसाद  
25/03

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।
6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।
8. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।
9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।
10. प्रस्ताव पर मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
11. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-6/आधु0-01-08/2016 गृ0आ0 के पृ0-56/टि0 पर दिनांक-17.03.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/आधु0-01-08/2016गृ0आ0.....पटना, दिनांक 23 मार्च, 2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा  
23/03/17

सरकार के अवर सचिव

दिनांक